



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-16022026-270171  
CG-TL-E-16022026-270171

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 745।  
No. 745।

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 13, 2026/माघ 24, 1947  
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 13, 2026/MAGHA 24, 1947

रेल मंत्रालय

(दक्षिण मध्य रेलवे)

अधिसूचना

सिकंदराबाद, 13 फरवरी, 2026

**का.आ. 783(अ).**—रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 20ए की उप-धारा (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने के पश्चात् कि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण संलग्न अनुसूची में दिया गया है, विशेष रेलवे परियोजना अर्थात् आंध्र प्रदेश राज्य में एसपीएसआर नेल्लोर जिले के कोवूर मंडल, पडुगुपु गाँव में “3000 एमटी लोडिंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विद्युत कर्षण प्रणाली का 1x25केवी से 2x25केवी में उन्नयन कार्य – गूडर सेक्षन - ओंगोल में पडुगुपाडु टीएसएस का निर्माण –” के निष्पादन के लिए आवश्यक है, एतद्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने की अपनी मंशा की घोषणा करती है:

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 20डी की उप-धारा (I) के अंतर्गत पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अधिग्रहण और उपयोग के संबंध में आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर भू-अर्जन में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है।

प्रत्येक ऐसी आपत्ति, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् राजस्व मंडल अधिकारी, नेल्लोर को लिखित रूप में की जाएगी और उसके आधारों को निर्धारित की जाएगी तथा सक्षम प्राधिकारी, राजस्व मंडल अधिकारी, नेल्लोर आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या कानूनी व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के बाद तथा आगे ऐसी जांच

करने के पश्चात् यदि भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी (सीएएलए) यह आवश्यक समझता है तो वह किसी आदेश द्वारा आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।

उक्त अधिनियम की धारा 20(डी) की उप-धारा (II) के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत शामिल की गई भूमि की भू-योजनाएं और अन्य विवरण उक्त सक्षम प्राधिकारी (सीएएलए) के कार्यालय में उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

### अनुसूची

**अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का विवरण :** आंध्र प्रदेश राज्य में जन प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय अवसंचना प्रदान करने के लिए 3000 एमटी लोडिंग के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु विद्युत कर्षण प्रणाली का 1x25केवी से 2x25केवी में उन्नयन कार्य –गूडर सेक्शन में ओंगोल में पडुगुपाडु टीएसएस का निर्माण।

मंडल : कोवूर

गांव : पडुगुपाडु

जिला : एसपीएसआर नेल्लोर

क्र. सं.	वर्गीकरण	कुल क्षेत्र	उप मंडल के साथ पुराना सर्वेक्षण सं.	वेब लैंड मालिकके अनुसार	एंजॉयमेंट नाम के अनसार	प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के लिए निजी पट्टा भूमि का विस्तार (एकड़-सेट)			अभ्युक्तियां
						एकड़	एकड़	एकड़	
1	सरकारी	28.78	25-3, 31, 32, 33, 34-2, 35-3, 36-3, 46, 47-1	सरकारी भूमि	सरकारी भूमि	--	--	6.244	
सकल योग						--	--	6.244	

[फा. सं. W.Con/182/SRP/TSS/PGU/20A]

के. सूर्यनारायण, मुख्य इंजीनियर/निर्माण-III

### MINISTRY OF RAILWAYS

(South Central Railway)

### NOTIFICATION

Secunderabad, the 13th February, 2026

**S.O. 783(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the schedule annexed hereto, is required for the execution of the Special Railway Project, “Up-gradation work of Electric Traction System from 1x25kV to 2x25KV to meet 3000 MT loading target – Construction of Padugupadu TSS in Ongole – Gudur Section” in Padugupadu village, Kovur Mandal in SPSR Nellore District in the state of Andhra Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty (30) days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act.

Every such objection, shall be made to the Competent Authority, namely, Revenue Divisional Officer, Nellore in writing and shall be set out the grounds there of and the Competent Authority Revenue Divisional Officer, Nellore shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the Competent Authority for Land Acquisition(CALA) thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority for Land Acquisition under sub section (ii) of section 20(D) of the said act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority (CALA).

#### SCHEDULE

**Description of lands in Acquisition: For Up-gradation work of Electric Traction System from 1 X 25 KV to 2 X 25 KV to meet 3000 MT loading target – Construction of Padugupadu TSS in Ongole – Gudur Section in the state of Andhra Pradesh.**

Mandal : Kovur

Village : Padugupadu

District: SPSR Nellore

Sl. No.	Classification	Full Extent	Old Sy.No. with Sub Division	As per web land owner	As per enjoyment Name	Extent of Private Patta Land Extent Proposed for LA (Ac-Cts)			Remarks
						Private Land	Assignment Land	Government Land	
1	Govt.,	28.78	25-3, 31, 32, 33,34-2, 35-3, 36-3, 46, 47-1	Govt., Land	Govt., Land	---	---	6.244	
	<b>Grand Total</b>					---	---	<b>6.244</b>	

[F. No. W.Con/182/SPR/TSS/PGU/20A]

K. SURYANARAYANA, Chief Engineer/Con-III